न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3149-I/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–07–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 548/2011–12/अपील।

1–धीरेन्द्र पुत्र जगदीश कुर्मी
2–जगदीश पुत्र रबूदे कुर्मी
निवासीगण ग्राम पटटी तंतारपुर तहसील भाण्डेर,
जिला–दतिया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–हरचरन पुत्र सीताराम कुर्मी
2–दयाराम पुत्र सीताराम कुर्मी
निवासीगण ग्राम पटटी तंतारपुर तहसील भाण्डेर,
जिला–दतिया (म.प्र.)
3–म0प्र0शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री के0के0द्विवेदी, अनावेदक कमांक 1 व 2
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, पेनल अभिभाषक अनावेदक क्र.3 शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/2/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 548/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 03–07–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पटटीततारपुर के सर्वे नम्बर 1421 पर अतिक्रमण करने के संबंध में शिकायत धीरेन्द्रकुमार द्वारा जनसमस्या निवारण केंद्र दतिया पर की गई जिसके संबंध में तहसीलदार भाण्डेर द्वारा प्र0क्रमांक 127/अ–68/2009–10 कायम किया । प्रकरण में तहसीलदार भाण्डेर द्वारा अनावेदकगण को सूचना देकर उनका जबाव लिया गया । अनावेदकगण द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया व ग्राम पटवारी की भी रिपोर्ट ली गई । जॉच उपरांत तहसीलदार भाण्डेर द्वारा अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 6–1–11 से यह आदेश दिया कि सर्वे नम्बर 142 रकबा 001 में स्पष्ट रूप से अतिक्रमण चिन्हित न होने से प्रकरण निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–2011 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 17/अपील/2010–11 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 27–3–2012 से अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–3–12 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 548/2011–12/अपील पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 3–7–12 से अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–7–12 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया कि विवादित भूमि सार्वजनिक निस्तार की भूमि होने से ग्राम के प्रत्येक निवासी का उसमें हित निहित है ऐसी स्थिति आवेदकगण को वर्तमान प्रकरण में अपील का अधिकार न मानने में त्रुटि की है । निस्तार की भूमि में हुये परिवर्तन के संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों के अभिनिर्धारणों पर कोई विचार ही नहीं किया गया ।

तर्क में यह भी बताया कि तहसील न्यायालय में पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर अनावेदकगण के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अधीन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जिसमें अनावेदकगण द्वारा सरपंच से भवन निर्माण की स्वीकृति की आपत्ति की गई । तहसील न्यायालय ने इस आपत्ति के संबंध में मार्गदर्शन अनुविभागीय अधिकारी से मॉगा था किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने मार्गदर्शन के स्थान पर प्रकरण समाप्त किये जाने का अंतिम आदेश पारित कर दिया जो अधिकार रहित होकर शून्य एवं निष्प्रभावी होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस वैधानिक बिन्दु पर अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी कोई विचार नहीं किया इसलिये अपीलीय न्यायालयों के आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण प्रारम्भिक न्यायालय को विधिवत् कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के अधिवक्ता तथा अनावेदक क्रमांक 3 शासन की ओर से उनके पेनल अभिभाषक द्वारा यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से आवेदक की यह आपत्ति सही प्रतीत होती है कि तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण पंचायत की अनुमति की वैधता का परीक्षण हेतु भेजा था लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में यह देखने के स्थान पर प्रकरण ही समाप्त कर दिया है । उक्त भूखण्ड पर संहिता की धारा 248 के तहत अतिक्रमण का प्रकरण प्रचलनशील हो सकता है यदि अनावेदक को वैध आबंटन न हो क्योंकि पूर्व में भी राजस्व अधिकारियों ने धारा 248 के नोटिस दिये हैं । आवेदक के विरूद्ध भी इसी भूमि पर पूर्व में 248 की कार्यवाही

होने का प्रमाण अभिलेख में संलग्न है। अतः इस प्रकरण में उसकी हैसियत मात्र शिकायतकर्ता की नहीं मानी जा सकती । जैसा कि अधीनस्थ न्यायालयों ने माना है ।

6– उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों – अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह प्रथमतः अनावेदक को भूमि के वैध आवंटन के संबंध में जॉच करें, तदुपरांत नियमानुसार कार्यवाही करें । निगरानी मान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर